quality ore available in India today is from that district;

(b) if so, whether Government propose to erect any steel plant in that district in the Third Five Year Plan period;

(c) how many steel plants are we going to have in the Third Five Year Plan period; and

(d) whether any sites have been selected for the location of such plants?

The Minister of Steel and Heavy Industries (Shri C. Subramaniam): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). During the Third Plan Period, it is proposed to set up a new steel plant at Bokaro. The question of setting up a pig iron plant based on Neyveli Lignite—representing an initial stage in the establishment of a steel plant in the Southern region is at present under the consideration of a Techical Committee, who are expected to report on a suitable location for the plant as well. A similar Committee is examining the technical and economical feasibility of setting up a pig iron or steel plant based on the iron ores of Bellary district.

सेवानिवृत्त सूबेदार-मेजरों के लिये महंगाई भत्ता

३३८०. **श्री युद्धवीर सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवकाश प्राप्त सूबेदार-मेजरों को अन्य फौजी पेंशनरों के समान वेतन के साथ कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता, और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सशस्त्र सेनाओं के पेन्शनरों को महंगाई भत्ते के तौर पर कोई भत्ता पेन्शनों के साथ नहीं मिलता। तदपि छोटी पेन्शनों पर उन पेन्शनरों को अस्थायी वृद्धियां देय हैं जिन्हें पेंशन संबंधी पुराने नियमों के अधीन ११२ रुपये ५० नये पैसे तक मासिक पेन्शनें मिलती हैं। चूंकि इन अस्थायी वृद्धियों का अधिकार पेन्शन के दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, न कि आस्पद के आधार पर, ऐसे सुबेदार मेजर अस्थायी वृद्धियों के अधिकारी हैं, जिन्हें ११२ रुपये ५० नये पैसे से कम मासिक पेन्शन मिलती है।

(ख) उपरोक्त स्पष्ट की गई स्थिति के समक्ष, प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेना के पेंशनर

३३८१. **श्री युद्धवीर सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंशन प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिमास पेंशन नहीं मिलती अपितु तीन मास या उससे भी अधिक समय में मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) अधिकतर हालतों में सशस्त्र सेनाओं के पेन्शनरों को पेन्शन की अदायगी त्रिमासिक की जाती है।

(ख) (१) जहां पेन्शनें मासिक भी दी जाती हैं, पेन्शनर अपनी पेन्शनें लेने के लिये सदा समय पर नहीं आते, वरन दो तीन मास की पेन्शन इकट्ठी लेना पसन्द करते हैं, क्योंकि इस तरह पेन्शन देने वाले कार्यालयों को जाने आने की यात्रा में उन का खर्च बच जाता है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि थोड़ी पेन्शन पाने वाले पेन्शनर अपनी पेन्शन मासिक पाना पसन्द करेंगे।

(२) त्रिमासिक पेन्शन पाने वाले पेन्शनरों की संख्या कुछ लाख है। वह खजानों और डाकखानों से पेन्शनें पाते हैं। अगर